2021/182

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वाद/0/ नानगी बनाम आनन्दीलाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		25.9.21 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. तीर/अन्य [illegible] कार्यवाही [illegible] दिनांक 7.12.21 को पेश हो।	C/R [illegible] 30.2.5
	29/10/21	पत्रावली मूल वाद के साथ प्रार्थनापत्र पेश होने पर बहस परस्पर सुनी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थित प्रार्थीगण की पैरवात वकील श्री दिनेश शर्मा ने की है। मूल वाद में प्रार्थनापत्र वाद विद्यमान होने से डिक्रीवादी स्वोक्ति से गवाह अवेशन प्रार्थना पत्र को अग्रेतर चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना अस्वीकृत कि जाकर स्वोक्ति किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.21 को जारी स्थायी आदेश प्रभावशून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से चले होकर वाद तकमील दीवानी दफा है।	

निशानी

निशानी

Id by

[illegible]

29/10/2021

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर